# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर



पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 01/2022

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2022/90

अपीलार्थीगण

1 इन्द्रा देवी पत्नी बाबूलाल

2 भाटीराम पुत्र बाबूलाल

3 हरदानाराम पुत्र बाबूलाल

जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–सियागांव, पुर तहसील–सांचौर

4 संगीता पत्नी अशोक कुमार खिचड़ पुत्री श्री बाबूलाल, जाति–बिश्नोई निवासी–डेडवा, तहसील–सांचौर जिला–जालोर

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1 किशनलाल पुत्र ठाकराराम जाति–बिश्नोई, निवासी–सुंथड़ी, चितलवाना

2 पुनमाराम पुत्र कानाराम

3 पेमाराम पुत्र कानाराम

4 रूपाराम पुत्र कानाराम

5 वीरमाराम पुत्र कानाराम

6 देवीलाल पुत्र चौखाराम

जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–राणासर खुर्द, तहसील–नोखड़ा, जिला–बाड़मेर

7 हीरो पत्नी सोनाराम पुत्री कानाराम जाति–बिश्नोई, निवासी–बाण्ड, तहसील–गुड़ामालानी, जिला–बाड़मेर

8 सुरती पत्नी जयराम थोरी पुत्री कानाराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–शोभालादर्शान, तहसील–सेड़वा, जिला–बाड़मेर

9 धन्नाराम पुत्र आसूराम, पोत्र–हुकमाराम

10 मोहनलाल पुत्र आसूराम पौत्र–हुकमाराम

11 कालूराम पुत्र आसुराम, पौत्र–हुकमाराम

12 चौथाराम पुत्र आसूराम, पौत्र–हुकमाराम

13 मानाराम पुत्र हुकमाराम

14 लाछी देवी पत्नी मंगलाराम

15 पुनमाराम पुत्र मंगलाराम

16 रामलाल पुत्र मंगलाराम

17 वीरमाराम पुत्र मंगलाराम

18 [illegible], जातियान–बिश्नोई, निवा[illegible]गांव, पुर तहसील–सांचौर, [illegible]ला–जालोर

19 मीरा पत्नी मोहन[illegible] पुत्री मंगलाराम जाति–बिश्नोई, निवासी–लालासर, डावल, तहसील–चितलवाना, जिला–जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

20 सांवरी पत्नी घेवराराम पालड़िया
पुत्री मंगलाराम, जाति–बिश्नोई
निवासी–जोगाउ, तहसील–भीनमाल, जिला–जालोर
21 सरपंच ग्राम पंचायत पुर, तहसील–सांचौर
22 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सांचौर

# <u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

**<u>तारीख रजु :– 19.09.2022</u>**

उपस्थिति :–

1. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. प्रत्यर्थीगण संख्या 01 लगायत 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. प्रत्यर्थीगण संख्या 9 लगायत 22 एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 28.07.2025

अपीलार्थीगण मय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पुर वर्तमान गांव सियागांव, तहसील–सांचौर के पुराना खसरा संख्या 217 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 146 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 142 रकबा 77 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 180 रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा व खसरा संख्या 141 रकबा 03 बिस्वा (गैर मुमकिन बाड़ा) कुल रकबा 143 बीघा 09 बिस्वा जिसके नये खसरा संख्या 237, 238, 240, 241, 254, 296, 277 बनाये गये है के अपीलार्थीगण के दादा स्व. हरचंद पुत्र जेता कौम बिश्नोई खातेदार थे खतौनी बंदोबस्त उनके नाम से जारी की गयी। स्व. हरचंद के उपरोक्त वर्णित भूमि के अलावा ग्राम पुर के खसरा संख्या 145 रकबा 58 बीघा, खसरा संख्या 140 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 72 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी की थी, जिसको स्व. हरचंद ने अपने बड़े पुत्र कोला को बंटवाड़े में देकर उसके नाम दर्ज करवा दी तथा इसी प्रकार भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 587 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 221 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 55 बीघा 15 बिस्वा अपने दूसरे बड़े लड़के पोकर को बंटवाड़े मे देकर उसके नाम दर्ज करवा दी इसलिए हरंचद की उपरोक्त पद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर कोला व पोकर ने उतराधिकारी हक नहीं [illegible] हरचंद के [illegible] को हरचन्द ने उसके बाल्यावस्था में अपने भाई मुगला [illegible] खुर्द को हिन्दू रितिरिवाज के अनुसार गोद दे दिया तथा मुगला ने उसको गोद ले लिया जिसको मुगला के देहांत के बाद मुगला की ग्राम राणासर खुर्द की जमीन की खतौनी [illegible]बस्त संवत् 2012 से 2031 उसके नाम से जारी की गयी जिसकी नकल संलग्न प्रस्तुत है। काना के गोद जाने के बाद काना का अपने प्राकृतिक पिता हरचन्द की संपति खातेदारी भूमि में हक अधिकार समाप्त हो गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तथा मुगला की भूमि में हक अधिकार प्राप्त हो गये। उपरोक्तानुसार अपील के पद संख्या 1 में हरचंद के नाम की वर्णित भूमि हरचंद के पुत्र हुकमा व मंगला के हिस्से की रही जिसका हरचन्द के देहान्त के बाद नामान्तरकरण हुकमा व मंगला अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हो गये, इसके बाद हुकमा व मंगला का भी देहान्त हो गया। अपीलार्थीगण के दादा हरचंदजी के नाम दर्ज भूमि केवल और केवल हरचंदजी के पुत्र हुकमा व मंगला के हक हिस्से की थी जो हरचंदजी के देहान्त के व हरचंदजी के बड़े पुत्र कोला व पोकर के द्वारा भूमि में बंटवाड़ा लेकर अलग होने के बाद से उपरोक्त भूमि हुकमा व मंगला में निहित हो गयी तथा उक्त हुकमा व मंगला के देहान्त के बाद उक्त भूमि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 9 से 20 को प्राप्त हुई है। हरचन्द के जीवनकाल से उनके पुत्र स्व. हुकमा व मंगला तथा उनके देहान्त के बाद अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 9 से 20 का कब्जाकाश्त निरन्तर चला आ रहा है तथा खातेदार हरचन्द के देहान्त के बाद उसका नामान्तरकरण पटवारी व ग्राम पंचायत विरासत में दर्ज करने की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हुई। अभी अपीलार्थीगण पति/पिता स्व. बाबूलाल के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने के लिये पटवारी हल्का पूर के पास दिनांक 01.08.2022 को जाकर जमीन की नकल प्राप्त की अपीलार्थीगण ने जमीन पर मृतक खातेदार हरचन्द के गोद गये पुत्र काना व उसके वारिसान् का नाम क्योकर दर्ज हुआ का पुछने पर पटवारी हल्का ने अपना रेकर्ड देखकर बताया कि अपीलार्थीगण के दादा हरचन्द के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 51 के द्वारा हरचन्द के गोद गये हुए पुत्र काना का नाम ग्राम पंचायत पुर द्वारा दर्ज कर दिया तो अपीलार्थीगण की उपरोक्त पद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा अपीलार्थीगण के दादा हरचन्दजी के पुत्र काना का नाम गोद जाने के बाद हरचन्द की भूमि पर दर्ज होने की जानकारी हुई। इसके बाद अपीलार्थीगण ने दिनांक 03.08.2022 को ग्राम राणासरखुर्द की काना के गोद पिता मुगला की भूमि की खतौनी बंदोबस्त की नकल तहसीलदार गुड़ामालानी के कार्यालय से निकलवायी, उसके बाद अपीलार्थीगण ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 51 का पता कर तहसील सांचौर से नकल प्राप्त की। इसके बाद अपीलार्थीगण ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 51 के पश्चातवृति दर्ज किये गये नामान्तरकरण की नकल दिनांक 31.08.2022 को पटवारी हल्का पुर से प्राप्त की गयी। इस प्रकार अपीलार्थीगण को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 51 की प्रथम बार जानकारी उसकी नकल प्राप्त होने पर दिनांक 30.08.2022 को हुई, जिसके विरूद्व यह अपील जानकारी से अन्दर म्याद पेश की जा रही है।

उक्त अपील बाद कार्यालय में दिनांक 19.09.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये समन तलब किया गया, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 लगायत 8 उपस्थित आये तथा जवाब अपील प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 9 लगायत 22 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कानाराम हरचन्द के जीवनकाल में हरचन्द के साथ पुत्र के रूप में रहा तथा हरचन्द के अंतिम सांस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तक गोद नहीं गया था, हरचन्द के फौत होने के बाद ग्राम राणासर की भूमि काना के राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर हासिल की थी। जिसके केस नंबर 81/56 है जो मुगला के गोदपुत्र के रूप में केस लड़कर भूमि हासिल की थी। हरचन्द के फौत होने पर उसके तीनों जायन्दा पुत्र हुकमा मंगला व काना थे। जिनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ जो आज दिन तक चला आ रहा है तथा निर्विवादित रहा है। अपीलार्थीगण ने गलत ढंग से अपील पेश की है तथा वंशावली गलत पेश की है। जिसमें हरचन्द पुत्र के रूप में काना को नहीं दर्शाया गया है जो गलत है, जबकि काना हरचन्द का जायन्दा पुत्र था तथा हरचन्द के अंतिम समय तक कोई गोद नहीं गया था तथा ग्राम राणासर की भूमि प्रथम सर्वे के वक्त काना के ही नाम दर्ज हुई थी जो काना की स्व अर्जित भूमि है तथा काना मुगला का गोद पुत्र हो ऐसा कोई पंजीकृत गोदनामा नहीं है। हरचन्द के फौत होने पर 1963 में हरचन्द के पुत्र के रूप में काना, हुकमा, मंगला के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ उक्त तीनों फौत होने पर अलग अलग समय में उनके वारिसों के नाम नामान्तरकरण खोला गया जो कब्जे के अनुसार व हक के अनुसार खोला गया था जिस बाबत् अपील पेश होने तक किसी पक्षकार को कभी कोई आपति नहीं थी तथा काना के फौत होने पर उसके पुत्र ठाकरा, चौखा, पुनमा, प्रेमा, रूपाराम व वीरमाराम तथा पुत्री हीरा व सुरती के नाम नामान्तरकरण खोला गया वह भी निर्विवादित था तथा चौखा, पुनमा, प्रेमा, रूपा, वीरमा, हीरा व सुरती ने अपना हिस्सा ठाकरा के पुत्र किशनाराम के हक में तर्क कर दिया उस वक्त ठाकरा व चौखा फौत हो चुके थे। इसलिए चौखा के पुत्र देवीलाल व पत्नी पारू ने किशनाराम के हक में हकतर्क किया था, वह भी निर्विवादित किया था तथा हमारी उक्त भूमि के पास स्कूल बनाने के लिए भूमि भी तीनों भाई व उसके परिवार ने मिलकर समर्पित की थी तब भी तीनों ने मिलकर समर्पित की थी। तब भी यह भूमि निर्विवादित थी। उक्त भूमि हरचन्द के फौत होने के बाद तीनों पुत्र काना, हुकमा व मंगला के नाम दर्ज हुई तब उसके बाद कई बार खातेदारों ने अपने अपने हिस्से पर अपना हिस्सा जो दर्ज है उसे स्वीकार करते हुए ऋण लिया था। तब भी कानाराम के हिस्से का किसी ने कोई आपति नहीं की थी यह भूमि 1963 से कानाराम के नाम पुश्तैनी खातेदारी के रूप में चली आ रही है। जिसे 60 साल हो चुके है जो निर्विवादित खातेदारी के रूप में दर्ज है। हरचन्द जी के नाम दर्ज हुई भूमि में उनके वारिस काना, हुकमा व मंगला का समान हक होने से तथा हरचन्द के अंतिम समय तक काना कोई मुगला के गोद नहीं गया था। काना ने ग्राम राणासर की भूमि मुगला के स्थान पर पुत्र बनकर वाद चलाया जो वाद स्वीकार होने पर काना के नाम भूमि दर्ज हुई है जो उसकी स्व अर्जित भूमि है जो वाद लड़कर अर्जित की है जो प्रथम सर्वे से उनके नाम चली आ रही है तथा ग्राम ... र की भूमि जहां 1/3 हिस्से में कानाराम का हक व कब्जा था उस पर ... कानाराम के वारिसों का हक व कब्जा है फिर कानाराम के वारिसों ने मुझे किशनाराम के हक में सभी ने हक परित्याग कर दिया जिसे मैं किशनाराम अपीलार्थी संख्या 1 इस भूमि पर काबिज काश्त हूं। मेरा इसमें रहवासी मकान बना हुआ है। मैं परिवार सहित निवास कर रहा हूं। अपीलार्थीगण का यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

कहना है कि बाबुलाल के फौत होने पर उसे जानकारी हुई, यह कथन कतई मानन योग्य नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व बाबुलाल के पिता मंगला भी फौत हुआ था, तब भी मंगला का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज था तथा हुकमा के फौत होने पर आसू व माना का नाम दर्ज हुआ तब भी उनका नाम 1/3 हिस्से में दर्ज था जिसकी भलीभांति उन्हें जानकारी थी तथा आसू के फौत होने पर उसके पुत्र धना, मोहन, कालू, चौथा के नाम नामान्तरकरण खोला गया, तब भी उन्हें अपना 1/3 हिस्सा होने की जानकारी थी परन्तु अब यह कह देना की हमें पूर्व रेकर्ड की जानकारी नहीं थी। कथई मान्य नहीं है तथा उक्त भूमि का मौके पर विगत 50 सालों से ज्यादा समय से काना, हुकमा व मंगला का हिस्सा मौके पर अलग अलग है। जहां आपसी विभाजन के जरिये अलग अलग काबिज काश्त है इसलिए अब यह कह देना की हमें काना के हिस्से की जानकारी नहीं थी। कतई मान्य योग्य नहीं है तथा अपील जो नामान्तरकरण के करीब 59 साल बाद पेश की है जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है। अतः अपील अपीलार्थीगण बिना आधार बिना तथ्य के पेश होने से व नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 08.05.1963 को कानाराम द्वारा मुगलाराम के गोद जाने बाबत हरचन्द के जीवनकाल में गोद जाने का कोई गोदनामा पंजीबद्व पेश नहीं किया है उसके अभाव में अपील अपोषणीय है। अतः नामान्तरकरण अपील खारिज फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत पुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 08.05.1963 को स्वीकृत करने में कानूनी एवं विधिक तथ्यात्मक त्रुटि की है चुंकि काना वल्द हरचन्द बाल्याकाल में मुगला के गोद चला गया था इस कारण वह उक्त पैतृक सम्पति में कानूनन हकदार नहीं होने के बावजूद नामान्तरकरण संख्या 51 स्वीकृत करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है तथा नामान्तरकरण कार्यवाही करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मृतक मंगलाराम एवं हुकमाराम को सुनवाई का अवसर न देकर बाले बाले नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है, जबकि मृतक खातेदार हरचन्द के देहान्त पर हरचन्द के नाम दर्ज खातेदारी पर केवल उसके पुत्र मंगलाराम व हुकमाराम का हक था तथा भूमि नियमों के तहत हुकमा व मंगला को अर्जित हो गई थी इस कारण नामान्तरकरण संख्या 51 कानून एवं न्याय के विरूद्व होने से काबिल निरस्त है तथा तत्कालीन सरपंच द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 51 हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 तथा धारा 12 हिन्दू दतक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों की खुली खिलाफत करते हुए स्वीकृत किया गया है, जबकि काना गोद चले जाने से उसके समस्त हक अधिकार उसके प्राकृतिक पिता मृतक खातेदार हरचंद की सम्पति में नहीं रहते है तथा उसके गोदपिता की सम्पति में हक पैदा हो जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत पुर को काना के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं होने से नामान्तरकरण संख्या 51 काबिल निरस्त है चुंकि हल्का पटवारी तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्थान लेण्ड रेकर्ड रूल्स की नितान्त अवहेलना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:16:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थीगण को नामान्तरकरण संख्या 51 की पूर्व में जानकारी नहीं थी किन्तु दिनांक 01.08.2022 को जमीन की नकल प्राप्त करने पर हल्का पटवारी को पुछने पर तत्पश्चात दिनांक 03.08.2022 को ग्राम राणासर खुर्द की खतौनी बंदोबस्त नकल प्राप्त करने पर तत्पश्चात नामान्तरकरण नकल दिनांक 21.08.2022 को प्रथम बार जानकारी होने पर अपील अन्दर म्याद पेश की गई है जिसे स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 51 स्वीकृत दिनांक 08.05.1963 ग्राम पंचायत पुर को निरस्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि कानाराम हरचन्द के जीवनकाल में हरचन्द के साथ पुत्र के रूप में रहा तथा हरचन्द के जीते जी वह गोद नहीं गया। ग्राम राणासर की आराजी कानाराम द्वारा राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर जरिये मुकदमा संख्या 81/1956 से हासिल की थी। यदि हरचन्द के जीवित होते मुगला ने काना को गोद लिया होता तो अपीलार्थीगण अवश्य ही गोदनामा पेश करते किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा काना मुगला का गोदपुत्र होने के संबंध में कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वंशावली गलत ढंग से पेश की है तथा काना हरचन्द का जायन्दा पुत्र होते हुए उसे हरचन्द का पुत्र वंशावली में नहीं दर्शाया गया है तथा नामान्तरकरण संख्या 51 जब हरचन्द 1963 में फौत हुआ उस वक्त माफिक कब्जा अनुसार उनके वारिसान् के नाम खोला गया तथा चौखा, ठाकरा, पूनमा, प्रेमा, रूपा, विरमा तथा पुत्री हीरा व सूरती के नाम खोला गया जो निर्विवादित था। चौखा, पूनमा, प्रेमा, सरूपा, विरमा, हीरा व सूरती ने अपना हिस्सा ठाकरा के पुत्र किशनारान को तर्क कर दिया उस वक्त ठाकरा व चौखा फौत हो चुके थे इसलिए चौखा के पुत्र देवीलाल व पारू ने किशनाराम के हक में हकतर्क किया। उक्त भूमि के पास स्कूल बनाने के लिए भूमि भी तीनों भाई व उसके परिवारवालों ने मिलकर समर्पित की थी तथा काना को फौत हुए करीब 60 वर्ष हो चुके है तथा ग्राम पुर में 1/3 हिस्से की भूमि पर कानाराम का हक व कब्जा था। अपीलार्थी का यह कहना कतई गलत है कि बाबूलाल के फौत होने पर उसे जानकारी हुई क्योंकि इससे पूर्व बाबूलाल के पिता मंगला भी फौत हुआ था तब भी मंगला का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज था तथा हुकमा के फौत होने पर आसु व माना का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज हुआ था, जिसकी भी अपीलार्थीगण को भली भांति जानकारी थी तथा आसु के फौत होने पर उनके वारिसान् धना वगैरह के नाम नामान्तरकरण खोला उसकी भी भली भांति जानकारी थी। अपीलार्थीगण का यह कहना कतई गलत है कि काना के हिस्से की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थीगण द्वारा करीब 59 साल बाद यह अपील पेश की गई है जो स्पष्टतया म्याद बाहर है तथा भूमि पर 59 साल से निर्विवादित कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलार्थीगण द्वारा काना हरचन्द के गोदपुत्र होने का कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पेश नहीं किया है इसलिए अपीलार्थीगण की अपील काबिल खारिज है तत्पश्चात ग्राम पंचायत पुर द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत नामान्तरकरण संख्या 112, 113 व 132 भी विधिवत् ढंग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकृत किये गये है जिसे निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील स्पष्टतया म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलार्थीगण के अपील का मुख्य आधार काना जो हरचन्द का पुत्र था किन्तु काना मुगला के गोद चले जाने के कारण उक्त प्राकृतिक पिता की सम्पति में उसका हक नहीं बनता है इस कारण नामान्तरकरण संख्या 51 स्वीकृत दिनांक 08.05.1963 ग्राम पंचायत पुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण को खारिज किया जावें। अपीलार्थीगण द्वारा पेश नामान्तरकरण संख्या 51 का अवलोकन करने पर उक्त नामान्तरकरण दिनांक 08.05.1963 को ग्राम पंचायत पुर द्वारा स्वीकृत किया जाना पाया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा काना मुगला के गोद जाने व मुगला का गोदपुत्र होने के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज या रजिस्टर्ड गोदनामा पेश नहीं किया है जिससे यह माना जावें कि काना मुगला के गोद गया हो तथा मुगला ने उसे गोदपुत्र स्वीकार किया हो। प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 51 दिनांक 08.05.1963 ग्राम पंचायत पुर के विरूद्व उक्त अपील पेश की गई जिसे करीब 59 वर्ष होने आये है, इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह माना जावें कि नामान्तरकरण संख्या 51 के स्वीकृत होने की जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व में नहीं थी। विवादित आराजी में समय समय पर नामान्तरकरण संख्या 112, 113, 132 इत्यादि भी स्वीकृत हुए है। तत्पश्चात उक्त आराजी में से भूमि विद्यालय हेतु समर्पित भी की गई है तथा उस दौरान द्वितीय सेटलमेन्ट विभाग द्वारा भूमियों का नाप कर तमाम काश्तकरों को पर्चा नोटिस, पर्चा लगान इत्यादि भी वितरण किये थे इन तमाम परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए उक्त अपील अपीलार्थीगण द्वारा म्याद बाहर पेश किया जाना स्पष्ट है अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से अपीलार्थीगण की अपील स्पष्टतया म्याद बाहर होने से तथा सबूतों के अभाव में काबिल खारिज होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **28.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Scanned with OKEN Scanner